कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर।

पत्रांक–के0जी0बी0वी0 / समग्र शिक्षा / 1345 / 2023–24 दिनांक– 14.12.2023

प्रेस विज्ञप्ति

उ0प्र0 शासन के पत्रांक–1553 / 68–5–2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग–05 दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक–के0जी0बी0वी0 / 11308 / 2022–23 दिनांक 14.02.2023 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के अनुमति के उपरान्त जनपद जौनपुर में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर **(11 माह 29 दिन तक के लिए)** नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार पूर्ण कालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, लेखाकार, सहायक रसोइयां एवं चपरासी पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र **दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक सांय 5 बजे तक** कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर में पंजीकृत डाक द्वारा आमंत्रित किये जाते है। रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है–

क्र0 स0	पदनाम	विषय	रिक्त पदों की संख्या	EWS	GEN	आरक्षणवार विवरण			मानदेय	न्यूनतम शैक्षिक अर्हता
						OBC	SC	ST		
1	पूर्ण कालिक शिक्षिका (01 अप्रैल, 23 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए)	गणित	01	–	–	–	01	–	22000	पी0सी0एम0 वर्ग से स्नातक, एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0 / समकक्ष एल0टी0 एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0
		विज्ञान	01	–	–	01	–	–	22000	जेड0बी0सी0 वर्ग से स्नातक, एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0 / समकक्ष एल0टी0 एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0
2	अंशकालिक शिक्षिका (01 अप्रैल, 23 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए)	कम्प्यूटर	15	01	06	04	04	–	9800	एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0 / समकक्ष एल0टी0 इसके अतिरिक्त पी0जी0डी0सी0ए0, बी0सी0ए0 / बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइन्स अथवा स्नातक सहित डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से ओ लेवल / ए लेवल डिप्लोमा
		शारीरिक शिक्षा	01	–	01	–	–	–	9800	प्रशिक्षित स्नातक, बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 आदि
3	लेखाकार (महिला) (01 अप्रैल, 23 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए)		02	–	01	–	01	–	11000	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक तथा एम0एस0 ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य होगा। डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से ओ लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में चयन में वरीयता दी जायेगी।
4	सहायक रसोइयां (महिला) (01 अप्रैल, 23 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए)		04	–	–	03	01	–	5175	कक्षा 8 उत्तीर्ण एवं शारीरिक रूप से अक्षम तथा संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होनी चाहियें।
5	चपरासी (महिला)(01 अप्रैल, 23 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए)		02	–	–	01	01	–	5750	कक्षा 8 उत्तीर्ण एवं शारिरिक रूप से अक्षम तथा संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होनी चाहियें।

01 आवश्यक नियम एवं शर्तें–

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्मिकों के लम्बित रिक्त पदों पर तत्काल संविदा पर नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर पदस्थापित किया जाये, जो विशेष अनुज्ञा याचिका सं0–13553 / 2022 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होगी।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्मिकों की संविदा पर नवीन नियुक्ति हेतु अनिवार्य रूप से महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जायेगा।
- पूर्ण कालिक शिक्षिकाओं के पदों के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 एवं प्रशिक्षित स्नातक होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0 / समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
- अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसी शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो गये हैं / हो रहे हैं, उन शिक्षिकाओं द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर उन्हे चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश संख्या के0जी0बी0वी0 / 3–2 / 1916 / 2013–14 दिनांक 29.07.2013 के पूर्व कार्यरत् शिक्षिकाओं के लिए टी0ई0टी0 की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी।
- कम्प्यूटर शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0 / समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षित सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु

पी0जी0डी0सी0ए0/बी0सी0ए0/बी0सी0ए0 कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से ओ लेवल/ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी।

- बी0पी0एड0, सी0पी0एड0, डी0पी0एड0 आदि उपाधियॉ केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापन हेतु मान्य होंगी, किन्तु शारीरिक शिक्षा पद पर चयन हेतु बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 अभ्यर्थियों हेतु टी0ई0टी0 अनिवार्य नहीं होगी।
- लेखाकार पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक तथा एम0एस0 ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य होगा। डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से ओ लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में चयन में वरीयता दी जायेगी।
- चपरासी पद/सहायक रसोइयां पद हेतु कक्षा 8 उत्तीर्ण एवं शारीरिक रूप से अक्षम तथा संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होनी चाहिए। सहायक रसोइयां का पद पूर्ण कालिक है तथा विद्यालय में निवास करना अनिवार्य है।

02 आयु–

- समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 01 अप्रैल को 25 वर्ष होगी।
- समस्त स्टाफ की अधिकतम आयु चयन वर्ष की 01 अप्रैल को 45 वर्ष से अधिक न हो।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हों, किन्तु शैक्षिक वर्ष 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो गये हैं, उन शिक्षिकाओं द्वारा कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर उन्हे चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जाये, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित शिक्षिका की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु समस्त स्टाफ की अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी।

03 चरित्र–

- किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे। चयन समिति अभ्यर्थी के चरित्र के सम्बन्ध में यथोचित समाधान करेगी।

04 चयन प्रक्रिया–

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की ऐसी शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहें है, उनके द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 02 अंक अतिरिक्त भारांक दिया जाये, किन्तु अधिकतम भारांक 30 अंक से अधिक नहीं दिया जायेगा।
- शिक्षिकाओं के चयन हेतु पदवार/विषयवार/वर्गवार पृथक–पृथक श्रेष्ठता सूची (मेरिट सूची) बनायी जायेगी।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक स्टाफ या पूर्ण कालिक शिक्षिका, अंश कालिक शिक्षिका तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जायेगा। पूर्ण कालिक शिक्षिका, अंश कालिक शिक्षिका तथा लेखाकार के पद हेतु अभ्यर्थी के चयन के लिए भारांक के अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा–

क्रम सं0	परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक
1	हाईस्कूल	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत् x 10/100
2	इण्टरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत् x 10/100
3	स्नातक	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत् x 20/100
4	प्रशिक्षण	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत् x 30/100
5	भारांक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्यरत् अनुभव	प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 02 अंक, अधिकतम 30 अंक तक, जो भी कम हो।

नोट–

1. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम, जो आयु में ज्येष्ठ हो, सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।
2. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो अभ्यर्थी का नाम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सूची में रखा जायेगा।
3. समस्त पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
4. पूर्ण कालिक शिक्षिका का पद पूर्ण कालिक है। अतः इन्हें विद्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा।
5. काउसिंलिग/साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक व अन्य प्रमाण–पत्रों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवर्य है।

7. आवेदन पत्र के साथ रू0 40/-(रू0 चालीस मात्र) का डाक टिकट लगा लिफाफा, जिस पर अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट लिखा हो, अवश्य संलग्न करें।

8. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर मान्य होगा, अपूर्ण/अस्पष्ट आवेदन पत्र अथवा बिना हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्र तथा उपरोक्तानुसार विज्ञापन में उल्लिखित निर्देशों का पालन न करने वाले अभ्यर्थी के आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे। जिसके लिए कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

9. समस्त नियम व शर्तें शासनादेश सं0 1553/68-5-2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग-05 दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 एवं अद्यतन निर्गत निर्देशों के अनुसार प्रभावी होंगे।

10. उपरोक्त विषय में अंकित रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

संलग्नक-आवेदन **पत्र का प्रारूप**

14/7/2023

डा0 (गोरखनाथ पटेल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

A.A.O

पृ0सं0-के0जी0बी0वी0/समग्र शिक्षा/ 1345 /2023-24 दिनांक-उक्तवत्।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर।

2 मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जौनपुर।

3 जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जौनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद के वेब साइट jaunpur.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14/7/2023

डा0 (गोरखनाथ पटेल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

A.A.O